न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-9, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी– (रघुबर सिंह), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01690**

सत्र परीक्षण संख्या–५७९/२०१५

राज्य **बनाम** **सुमित**

अपराध संख्या–११०/२०१५

धारा–२५/२७ आयुध अधिनियम।

थाना–सिविल लाइन जिला मुरादाबाद।

१३–३–२०२४

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त सुमित गैर हाजिर। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश नियत है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त विगत कई वर्षों से लगातार गैर हाजिर चल रहा है, जिसकी हाजिरी सुनिश्चित कराये जाने हेतु, न्यायालय द्वारा लगातार गैर जमानतीय अधिपत्र, धारा ८२ व ८३ दं.प्र.सं. की आदेशिका निर्गत की जा रही हैं। न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानतीय अधिपत्र एवं ८२/८३ दं.प्र.सं. की आदेशिका पर सम्बन्धित थाने से यह आख्या प्राप्त करायी गयी कि " *अभियुक्त सुमित पुत्र रामवीर सिंह, निवासीः ग्राम नमैनी गददी, थाना हजरतनगर गढ़ी, जनपद सम्भल की कुर्की हेतु दिये गये पते पर दविश दी गयी तो अभियुक्त सुमित दस्तयाब नहीं हुआ, बदस्तूर फरार है। न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में आख्या दिनांकित १३–१२–२०२३ में उल्लिखित किया गया है कि घर की कुर्की वर्ष २०१८ में हुई थी। पुनः आज मुझ उपनिरीक्षक द्वारा घर पर मिली सम्पत्ति को अभियुक्त सुमति की मां व दो गवाहों की उपस्थिति अजय पुत्र धर्मवीर सिंह व गिरीराज सिंह पुत्र गेदा लाल की मौजूदगी में फर्द तैयार कर अभियुक्त के घर के सामान को कुर्क किया गया। जिसकी कीमत लगभग ९,३००/–रूपये के लगभग थी, फर्द कुर्की एक प्रति अभियुक्त की मां को देकर हस्ताक्षर कराये गये तथा फोटो लिये गये जो संलग्न है"* । अभियुक्त के विरूद्ध निर्गत उपरोक्त गैर जमानतीय अधिपत्र व ८२/८३ दं.प्र.सं. के आदेशिका के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत थाने की आख्या के बावत सम्बन्धित तामीलकर्ता उपनिरीक्षक अजेन्द्र कुमार , थाना सिविल लाइन, जिला मुरादाबाद द्वारा न्यायालय के समक्ष बतौर **न्यायालयीय साक्षी(सी.डब्लू–१)** ने उपस्थित होकर, अभियुक्त के विरूद्ध निर्गत न्यायालयीय आदेशिकाओं की तामीली आख्या के साथ संग्लन अभियोजन प्रपत्रों यथा–धारा ८३ दं.प्र.सं. के सम्बन्ध में **आख्या प्रदर्श सी–१, कुर्की की लिस्ट को प्रदर्श सी–२, कुर्की के गवाहों व सुपुर्दगार के आधार कार्ड की प्रति क्रमशः प्रदर्श सी–३, ४ एवं ५ जी.डी. प्रदर्श सी–६** के रूप में साबित एवं प्रमाणित करते हुये, अभियुक्त के विरूद्ध निर्गत उपरोक्त आदेशिकाओं(गैर जमानतीय अधिपत्र व धारा ८२/८३ दं.प्र.सं.) पर सम्बन्धित थाने से प्रेषित की गयी आख्या के तथ्यों को पुष्ट एवं प्रमाणित करते हुये, अपने उपरोक्त सशपथ साक्ष्य **बतौर सी.डब्लू–१** में स्पष्ट रूप से अभिकथित किया गया है कि *उक्त अभियुक्त सुमित पुत्र रामवीर सिंह, निवासीः ग्राम नमैनी गददी, थाना हजरतनगर*

गढ़ी , जनपद सम्भल ,के निकट भविष्य में मिलने की कोई सम्भावना नहीं रह गयी है, मेरे द्वारा पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर ली गयी है।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि धारा ८२ दं.प्र.सं. की आदेशिका के अनुपालन में अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष, नियत दिनांक को हाजिर न होने के कारण, अभियुक्त के विरूद्ध धारा १७४ए भा.दं.सं. के तहत पृथक से प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से यह तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्त विगत कई वर्षों से लगातार गैर हाजिर चल रहा है, जिसकी हाजिरी सुनिश्चित कराये जाने हेतु न्यायालय द्वारा विधितः प्राविधानित समस्त आदेशिकाओं को निर्गत करते हुये, उनके सम्यक रूप से तामीली कराये जाने के सम्बन्ध में समुचित आख्या प्राप्त करते हुये, अभियुक्त के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में धारा १७४ए भा.दं.सं. के तहत पृथक से मुकदमा पंजीकृत कराया जा चुका है एवं तामीलकर्ता उपनिरीक्षक के सशपथ साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त के निकट भविष्य में मिलने की कोई सम्भावना अवशेष नहीं रह गयी है। साथ ही साथ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दिनांक ०६–३–२०२४ को ही, धारा २९९ दं.प्र.सं. की कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को समग्र रूप में दृष्टिगत रखते हुये, न्यायालय के मत में, प्रस्तुत सत्र विचारण संख्या–४५/२०२०, मुकदमा अपराध संख्या १०९/२०१५, धारा १४७,१४८,१४९,३०२ भा.दं.सं.,राज्य बनाम सुमित, थाना सिविल लाइन जिला मुरादाबाद की पत्रावली, धारा २९९ दं.प्र.सं.के तहत निम्नलिखित शर्तो के साथ दाखिल दफ्तर किये जाने योग्य है–

आदेश

पत्रावली निम्नलिखित शर्तों के साथ दाखिल दफतर की जाती है–

१–पत्रावली पर लाल स्याही से यह अंकित किया जाये, कि पत्रावली धारा २९९ दं.प्र.सं.के तहत दाखिल की जा रही है, इसका विनष्टीकरण न किया जाये।

२–अभियुक्त सुमित पुत्र रामवीर सिंह, निवासीः ग्राम नमैनी गददी, थाना हजरतनगर गढ़ी, जनपद सम्भल के विरूद्ध स्थाई गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया जाये।

३–आदेश की एक प्रति सम्बन्धित थानाध्यक्ष सिविल लाइन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाये कि अभियुक्त को शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, एवं

४–अभियुक्त के गिरफ्तार होने की दशा में, प्रस्तुत सत्र विचारण की पत्रावली को अभिलेखागार से तलब करके, उसका विधि अनुसार निस्तारण किया जाये।

(रघुबर सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–९ मुरादाबाद।